

2022/447

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती बाई

वनाम

श्री. कल्याण

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

310/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

श्रीमती बाई

पति श्री श. कल्याण जी डांगी

निवासी- शम्भुपुरा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

आखोडा (पण्ड. लेमलपुरा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 615, 617, 947/616

कुल कीता 3 कुल रकबा 1.7200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

आखोडा (पण्ड. लेमलपुरा)

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 615, 617, 947/616

कुल कीता 3 रकबा 1.7200 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रुपये अक्षर एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(राज्य हुन्कर सिन्गेई)
महान्याय कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)